

वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017-कार्तिक 5, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, मस्त कलंदर, उम्र 63 वर्ष पिता श्री मोहम्मद इसहाक, निवासी-सरवेन्ट क्वार्टर वेस्टलैंड मानेगांव खमरिया, थाना रांझी, जबलपुर घोषणा करता हूँ कि मैंने 28-10-2002 को एलआईसी की पॉलिसी क्रमांक 372535361 ली थी जिसमें मेरा नाम शेख कलंदर दर्ज है जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मस्त कलंदर दर्ज है यह कि मैं अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में अपना नाम शेख कलंदर के स्थान पर मस्त कलंदर दर्ज करना चाहता हूँ अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम शेख कलंदर के नाम पर सही नाम मस्त कलंदर संशोधित कर दर्ज किया जावे। इस वास्ते शापथ-पत्र प्रस्तुत है।

पुराना नाम :

(शेख कलंदर)

(463-बी.)

नया नाम :

(मस्त कलंदर)

नाम परिवर्तन

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती रूबी दुबे पति श्री लोकेन्द्र दुबे, निवासी-603, खातीवाला टैक, इन्दौर मध्यप्रदेश का विवाह पूर्व रूबीना शेख पुत्री श्री शेख अब्दुल कादर के नाम से जानी व पहचानी जाती थी। मेरी पक्षकारा का लोकेन्द्र दुबे के साथ विवाह होने के उपरांत से मेरी पक्षकारा का नाम श्रीमती रूबी दुबे हो गया है तथा भविष्य में भी मेरी पक्षकारा श्रीमती रूबी दुबे के नाम से ही जानी व पहचानी जावेगी एवं रूबी दुबे के नाम से ही हस्ताक्षर कर कार्यवाही संपादित करेगी। अतः सूचित हैं।

द्वारा-अभिभाषक

संजय खान,
(एडवोकेट)।

(465-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-विदित हो मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम तारकेश्वरी यादव पत्नी श्री अशोक सिंह यादव दर्ज है मेरा घरेलू नाम ज्योति यादव है जो की त्रुटिवश बीमा पॉलिसी में दर्ज हो गया है दोनों मेरे ही नाम हैं।

पुराना नाम :

(ज्योति यादव)

(467-बी.)

नया नाम :

(तारकेश्वरी यादव)
पत्नी श्री अशोक सिंह यादव।

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स वैल्यू स्पेश डब्ल्पर्स, स्थित 321, मिलिन्डा मैनोर, 2. आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0152/17, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 है. जिसमें दिनांक 21-05-2017 को श्री सीताराम मित्तल पुत्र श्री मदनलाल मित्तल एवं श्रीमती किरण मित्तल पति श्री सीताराम मित्तल, निवासीगण-701-ए, शेखर पार्क, 5 सूरज कोठी पार्क रोड, इन्दौर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 12-10-2017 को भागीदार श्री संजय संगमनेरकर पुत्र श्री डी. एस. संगमनेरकर, निवासी 103, क्रेसिडा-II, अपोलो डी. बी. सिटी, नैपनिया, इन्दौर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स वैल्यू स्पेश डब्ल्पर्स,
राज भार्गव,
(भागीदार).

(462-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित ई-1/117, हरिहर निवास, अरेरा कॉलोनी, भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00090/06, दिनांक 12-09-2006 है. जिसमें दिनांक 02-10-2017 को भागीदार श्री मदन गोपाल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री चिम्मन बल्लभ अग्रवाल की मृत्यु हो जाने के कारण वह फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 03-10-2017 को श्री प्रखर अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मदन गोपाल अग्रवाल एवं कु. पंखुड़ी अग्रवाल पुत्री स्व. श्री मदन गोपाल अग्रवाल, निवासीगण ई-1/117, हरिहर निवास, अरेरा कॉलोनी, भोपाल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
गायत्री अग्रवाल,
(भागीदार).

(464-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर, भोपाल
प्रक्र.184/बी-121/2016-17.

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि (रुद्राक्ष चेरिटेबिल ट्रस्ट) द्वारा श्री रमेशचन्द्र राजपूत ट्रस्टी, निवासी-बी-85-ए, ऋषिपुरम, फेस-1, बरखेडा, बी. एच. ई. एल. भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों. वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | रुद्राक्ष चेरिटेबिल ट्रस्ट, कार्यालय म.नं.-1129 मैनरोड पंचशीलनगर, भोपाल. |
| 2. अचल संपत्ति | : | निल. |
| 3. चल संपत्ति | : | 1100/- |

आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

संजय कुमार श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(1567)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन

प्रक्र.02/बी/113-2013-14.

प्रारूप-क्र. 4

[देखें नियम-5(1)]

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) के द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक नागदा, जिला उज्जैन के समक्ष।

यह कि श्री प्रदीपकुमार पिता माणकलाल जैन, नि. पिपलोदा बागला, तह. नागदा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को प्रातः 11:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	श्री सुविधिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट।
लोक न्यास का कार्यालय	:	श्री सुविधिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर के पास पिपलोदा बागला, तह. नागदा।
लोक न्यास की चल सम्पत्ति	:	यूको बैंक शाखा पिपलोदा बागला के बचत खाता क्र. 3519 में 187258/- रु।
लोक न्यास की अचल सम्पत्ति	:	ग्राम पिपलोदा बागला में भूमि सर्वे क्र. 1281 रकबा 0.010।

रजनीश श्रीवास्तव,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

(1568)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक “श्री पंजाबी समाज सेवा संस्थान इन्दौर” तर्फे आवेदक श्री अजय पिता श्री जोगेन्द्रपाल, निवासी-38, विष्णुपुरी इन्दौर के द्वारा श्री पंजाबी समाज सेवा संस्थान कार्यालय पता-45, लसुडिया मोरी देवास नाका, चौधरी के ढाबा के सामने, इन्दौर के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 5/- का चालान क्रमांक 74, दिनांक 03-08-2012 प्रस्तुत किया गया है जो प्रचलित है। आवेदक के द्वारा दिनांक 02-03-2017 को आवेदन-पत्र अंतर्गत आरेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया सहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर न्यास के पते में 45, लसुडिया मोरी देवास नाका, चौधरी के ढाबा के सामने के स्थान पर 17/2, मनोरमांगंज, इन्दौर अंकित किये जाने का निवेदन किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अधिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री पंजाबी समाज सेवा संस्थान”
---------------	---	---------------------------------

- पता : कार्यालय पुराना पता-45, लसुडिया मोरी देवास नाका, चौधरी के ढाबा के सामने, इन्दौर व नवीन पता-17/2, मनोरमागंज, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
- चल संपत्ति : न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 1,53,760/- (अक्षरी रुपये एक लाख, त्रेपन हजार, सात सौ साठ मात्र) हैं। दिनांक 31-03-2012 के अंकेक्षित लेखे अनुसार।
- अचल संपत्ति : अचल सम्पत्ति परिशिष्ट “अ” अनुसार बोरिंग, दिवार गेट, शोड आदि।

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1570)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शीतला माता धार्मिक एवं पारमार्थिक सार्वजनिक न्यास, पता-12/5, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर तर्फे अध्यक्ष श्री अनिल पिपले, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-9 की उपधारा (1) के तहत् निर्धारित प्रपत्र प्रारूप 6 में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर न्यासीगण श्री प्रेमनारायण की मृत्यु दिनांक 17 जनवरी, 2016 को होने से व अन्य न्यासी श्री पृथ्वीराज उस्ताद, डॉ. रमेश आर्य, श्री गौरीशंकर कल्लू, श्री दुर्गाप्रसाद गोयल तथा श्री होबलाल परमार द्वारा इस्तीफा दिये जाने से उनके स्थान पर नवीन न्यासी श्री अनिल पिता छोगालाल पिपले, श्री नरेन्द्र पिता श्री होबलाल परमार, श्री विजय पिता श्री अशोक गोयल, श्री कपिल पिता श्री गौरीशंकर उजनाहर, श्री खेमकरण पिता श्री देवीलाल व श्री प्रमोद पिता श्री रमन घुलघोए का नाम न्यास में हुए परिवर्तनों की प्रविष्टि न्यास पंजीयनों में किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत आवेदन-पत्र के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1570-A)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक “श्री बद्रीनाथ सेवा ट्रस्ट” पंजीयन क्रमांक 234/28/06/1985, कार्यालय पता-564/2, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री रसनिधि कुमार गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-9 की उपधारा (1) के तहत् निर्धारित प्रपत्र प्रारूप 6 में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर, ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18 अगस्त, 2001, 18 जनवरी, 2000, 20 अगस्त, 2001, 15 नवम्बर, 2004 व 04 अक्टूबर, 2016 अनुसार न्यास के न्यासी श्री मोहनलाल मेहता का दिनांक 18 फरवरी, 2004 व श्री दमोदर पिता श्री मदनलाल सराफ का दिनांक 08 दिसम्बर, 2004 को स्वर्गवास हो जाने से उनका नाम न्यास पंजी से कम कर, ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18 अगस्त, 2001 के आधार पर श्री गोपाल पिता स्व. श्री दामोदर का नाम प्रस्तावित कर परिवर्तनों की प्रविष्टि न्यास पंजी में किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत आवेदन-पत्र के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1570-B)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक “रसनिधि ट्रस्ट” पंजीयन क्रमांक 150/31/07/1982, कार्यालय पता-208, लोहा मण्डी इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री रसनिधि कुमार गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-9 की उपधारा (1) के तहत् निर्धारित प्रपत्र प्रारूप 6 में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर, ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24 अप्रैल, 2008, 21 फरवरी, 2012 अनुसार, श्री आशीष कुमार गुप्ता का नाम परिवर्तनों की प्रविष्टि न्यास पंजी में तथा ट्रस्ट के वर्तमान कार्यालय के स्थान पर नवीन कार्यालय का पता-301, सिल्वर आर्क प्लाजा, 20/1, न्यू पलासिया, इन्दौर का परिवर्तनों की प्रविष्टि न्यास पंजी में किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत आवेदन-पत्र के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1570-C)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक “श्रीमती मैत्रेयी पदमनाभन एजुकेशनल ट्रस्ट” पंजीयन क्रमांक 522/13/10/1995, कार्यालय पता-208, न्यू लोहा मण्डी इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री रसनिधि कुमार गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-9 की उपधारा (1) के तहत् निर्धारित प्रपत्र प्रारूप 6 में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर, ट्रस्ट के द्वारा पारित ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24 अप्रैल, 2008, 21 फरवरी, 2012 एवं 28 जनवरी, 2017 अनुसार ट्रस्ट के ट्रस्टीगण श्रीमती मैत्री पदमनाभन की दिनांक 10 मार्च, 2008 व श्री बाबूलाल पाटोदी की दिनांक 25 जनवरी, 2012 को मृत्यु होने उनका नाम न्यास पंजी कम करने तथा ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री अशोक चितले को अध्यक्ष के पद तथा ट्रस्ट के वर्तमान कार्यालय के स्थान पर नवीन कार्यालय का पता-301, सिल्वर आर्क प्लाजा, 20/1, न्यू पलासिया, इन्दौर का परिवर्तनों की प्रविष्टि न्यास पंजी में किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत आवेदन-पत्र के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1570-D)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक “श्री प्रहलाद सेवा ट्रस्ट मण्डलेश्वर” पंजीयन क्रमांक 257/06/10/1986, कार्यालय पता-564/2, मा. गा. मार्ग, इन्दौर 208, लोहा मण्डी, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी/सचिव श्री रसनिधि कुमार गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-9 की उपधारा (1) के तहत् निर्धारित प्रपत्र प्रारूप 6 में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर, श्री महेश सांघी, पता-39, बी. जे. बिहार कॉलोनी, चितावद रोड नवलखा, इन्दौर, श्री राधेश्याम पाटीदार, पता-प्रगति किराना, पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने महेश्वर रोड धामनोद एवं श्री आलोक डोगरें, पता-आलोक मेडीकल स्टोर मेनरोड, मंडलेश्वर, जिला खरगोन का नाम ठहराव प्रस्ताव दिनांक 28 जुलाई, 2003 एवं 13 जनवरी, 2017 अनुसार परिवर्तनों की प्रविष्टि न्यास पंजी में किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत आवेदन-पत्र के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

नीता राठौर,
रजिस्ट्रार

(1570-E)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1900.—फौजी प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., राघौगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 06 अगस्त, 1996

है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 633, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समय-सीमा में उत्तर चाहा गया था।

फौजी प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., राघौगढ़ की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. छिवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री जी. के. वास्त्री, स. वि. अ., राघौगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1901.—संगम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोपालपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 28 फरवरी, 2009 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 699, दिनांक 05 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समय-सीमा में उत्तर चाहा गया था।

संगम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोपालपुरा की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. छिवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री आर. सी. जाटव, स. वि. अ., गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-A)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1902.—शक्तिपुंज महिला बहु सहकारी समिति मर्या., बजरंगाढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 940, दिनांक 11 अप्रैल, 2002 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 695, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समय-सीमा में उत्तर चाहा गया था।

शक्तिपुंज महिला बहु सहकारी समिति मर्या., बजरंगाढ़ की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. छिवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री आर. सी. जाटव, स. वि. अ., गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-B)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1903.—सार्वजनिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हरीपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 102, दिनांक 30 मई, 1955 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 694, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

सार्वजनिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हरीपुर की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. छिवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी,

दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री आर. जी. जाटव, स. वि. अ., गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-C)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1904.—जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गुना, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 642, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गुना की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री आर. सी. जाटव, स. वि. अ., गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-D)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1905.—भारतीय महिला प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., गुना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 637, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

भारतीय महिला प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., गुना की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री आर. सी. जाटव, स. वि. अ., गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-E)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1906.—शिव शंकर प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., गुना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1101, दिनांक 25 मार्च, 2006 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 632, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

शिव शंकर प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., गुना की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री आर. सी. जाटव, स. वि. अ., गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-F)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1907.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धमनार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1083, दिनांक 13 जनवरी, 2006 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 631, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धमनार की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री आर. सी. जाटव, स. वि. अ., गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-G)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1908.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाखरियापुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 511, दिनांक 27 मार्च, 1979 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 628, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाखरियापुरा की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री विजय गुप्ता, स. वि. अ., चाचौड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-H)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1909.—महिला प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चाचौड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1093, दिनांक 31 मार्च, 2006 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 634, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

महिला प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चाचौड़ा की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री विजय गुप्ता, स. वि. अ., चाचौड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-I)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1910.—सुविधा प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., कुंभराज, जिसका पंजीयन क्रमांक 1138, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 635, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

सुविधा प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., कुंभराज की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री विजय गुप्ता, स. वि. अ., चाचौड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-J)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1911.—माँ अनन्पूर्णा प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., बीनागंज, जिसका पंजीयन क्रमांक 1124, दिनांक 07 जनवरी, 2008 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 662, दिनांक 05 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

माँ अनन्पूर्णा प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., बीनागंज की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री विजय गुप्ता, स. वि. अ., चाचौड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-K)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1912.—मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., चारनपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 579, दिनांक 20 अप्रैल, 1987 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 640, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., चारनपुरा की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री विजय गुप्ता, स. वि. अ., चाचौड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-L)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1913.—आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., मुहासाखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 25 नवम्बर, 2009 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 641, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., मुहासाखुर्द की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री विजय गुप्ता, स. वि. अ., चाचौड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-M)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1914.—नवयुवक मछुआ सहकारी समिति मर्या., चाचौड़ा जिसका पंजीयन क्रमांक 1075, दिनांक 07 नवम्बर, 2005 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 639, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

नवयुवक मछुआ सहकारी समिति मर्या., चाचौड़ा की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री विजय गुप्ता, स. वि. अ., चाचौड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1571-N)

गुना, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1915.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरोदागिर्द जिसका पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 30 सितम्बर, 2003 है के पंजीकृत उद्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने/निष्क्रिय होने/समयावधि में निर्वाचन नहीं करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 630, दिनांक 03 मई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवसों की समयसीमा में उत्तर चाहा गया था।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरोदागिर्द की ओर से कार्यालय को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के प्रावधान अनुसार उपरोक्त समिति के परिसमापन के प्रयोजन के लिये श्री आर. सी. जाटव, स. वि. अ., गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. के. द्विवेदी,
उप पंजीयक।

(1571-O)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1168.—कार्यालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेशों में आशिक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, छबिकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा श्री यू. एस. राठौर, उप-अंकेश्क, सहकारी संस्थाएं, हरदा को निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के तहत उक्त अधिनियम की धारा-71 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्रमांक	नाम	पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उप. सह. समिति मर्या., भादूगांव	भादूगांव	214/27-10-2014	श्री आर. के. जैन, स. नि.
2.	दुग्ध उप. सह. समिति मर्या., करताना	करताना	215/29-10-2014	श्री आर. के. जैन, स. नि.

1	2	3	4	5
3.	दुध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पिड़गांव	पिड़गांव	228/11-02-2015	श्री आर. के. जैन, स. नि.
4.	दुध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सोनखेड़ी	सोनखेड़ी	221/28-01-2015	श्री आर. के. जैन, स. नि.
5.	दुध उत्पादक सह. संस्था मर्या., खमगांव	खमगांव	225/30-01-2015	श्री आर. के. जैन, स. नि.

यह भी आदेशित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1572)

हरदा, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1169.— कार्यालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधि सूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, छबिकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा आर. के. पारे, उप-अंकेश्क, सहकारी संस्थाएं, हरदा को निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के तहत उक्त अधिनियम की धारा-71 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्रमांक	नाम	पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम
1.	दुध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मझली	मझली	222/28-01-2015	श्री आर. के. जैन, स. नि.
2.	दुध उत्पादक सह. स. मर्या., कुसिया	कुसिया	227/11-02-2015	श्री आर. के. जैन, स. नि.
3.	मजदूर श्रम सह. स. मर्या., हरदा	हरदा	207/25-03-2014	श्री आर. के. जैन, स. नि.

यह भी आदेशित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1572-A)

हरदा, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1170.— कार्यालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधि सूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, छबिकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा श्रीमति कंचनबाला सोनी, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, हरदा को निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के तहत उक्त अधिनियम की धारा-71 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्रमांक	नाम	पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	अशोक बॉस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सोड़लपुर	सोड़लपुर	1964/10-05-1966	श्री आर. के. औझा, व. स. नि.

1	2	3	4	5
2.	आदि. सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., नीमखेड़ा	नीमखेड़ा	1434/21-01-1965	श्री आर. के. औझा, व. स. नि.
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुकरावत्	कुकरावत्	2265/10-09-1987	श्री आर. के. औझा, व. स. नि.
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोखरनी	पोखरनी	2196/30-07-1983	श्री आर. के. औझा, व. स. नि.
5.	आदि. सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., पड़वा	पड़वा	1712/01-07-1963	श्री आर. के. जैन, व. स. नि.

यह भी आदेशित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1572-B)

हरदा, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1171.— कार्यालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए मैं, छबिकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा श्री आर. पी. सौलंकी, उप अंकेश्क, सहकारी संस्थाएं, हरदा को निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के तहत उक्त अधिनियम की धारा-71 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	नाम	पता	पंजीयन	पूर्व परिसमापक का नाम क्रमांक एवं दिनांक
			पंजीयन	
1.	दुग्ध उप. सह. स. मर्या., अबगांवकला	अबगांवकला	2695/24-05-1999	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
2.	सिद्ध विनायक बोज उ. एवं क्रय-विक्रय सह. स. मर्या., अतरसमा	अतरसमा	209/19-05-2014	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
3.	आदर्श म. बु. उ. सह. स. मर्या., हरदा	हरदा	88/09-04-2003	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
4.	कालिया देव तरबुज-खरबुज एवं फल उ. सह. स. मर्या., बघवाड बघवाड	बघवाड	232/31-03-2015	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
5.	गजालेश्वर तरबुज-खरबुज सह. स. मर्या., छिदगांवमेल	छिदगांवमेल	233/31-03-2015	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
6.	रेवा तरबुज-खरबुज सह. स. मर्या., छिपानेर	छिपानेर	231/27-03-2015	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
7.	नर्मदा शक्ति तरबुज-खरबुज सह. स. मर्या., हॉडिया	हॉडिया	230/26-03-2015	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
8.	वसुंधरा क्रय-विक्रय सह. स. मर्या., टिमरनी	टिमरनी	212/29-09-2014	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
9.	दुग्ध उप. सह. स. मर्या., गोगिया	गोगिया	2693/24-05-1999	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
10.	आदि. सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., मोरगढ़ी	मोरगढ़ी	1704/23-01-1964	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बालागाँव	बालागाँव	2263/10-09-1987	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मसनगाँव	मसनगाँव	2224/27-10-1983	श्री बी. के. तिवारी, स. नि.
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मगरधा	मगरधा	2261/10-09-1987	श्री आर. के. जैन, स. नि.
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौकड़ी	चौकड़ी	2268/10-09-1987	श्री आर. के. जैन, स. नि.
15.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडा	खेडा	2260/10-09-1987	श्री आर. के. जैन, स. नि.

यह भी आदेशित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1572-C)

छबिकान्त वाघमारे,
सहायक पंजीयक।

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं मर्या., विदिशा

विदिशा, दिनांक 24 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू./01.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश आदेश क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	विदिशा ग्रामीण तेल उत्पा. सह., विदिशा	071/31-01-1961	403/21-07-2015
2.	श्री चक्की निर्माण सह. संस्था, बर्हे	14329/02-05-1959	403/21-07-2015
3.	आदर्श कल्यान निर्माण सह., ठारोदिया	069/03-12-1960	403/21-07-2015
4.	घास चटाई सह. संस्था बरेठ, तहसील बासोदा	066/03-12-1960	403/21-07-2015
5.	दी सिरोज सर्वोदय तेल साबुन, सिरोज	124/08-11-1965	403/21-07-2015
6.	ग्रामीण तेल उद्योग उत्पा. सह. स. सिरोज	14312/17-03-1959	403/21-07-2015
7.	दुर्घट उत्पा. सह. संस्था मर्या., कबूलपुर	975/11-11-2014	738/08-06-2016
8.	दुर्घट उत्पा. सह. संस्था मर्या., बाबली	849/04-03-2013	737/08-06-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

आज दिनांक 24 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

डी. के. भारद्वाज,

उप-अंकेक्षक।

(1573)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड विदिशा, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 25 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश आदेश क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ शारदा अनन्पूर्णा प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., विदिशा	771/23-12-2010	540/30-03-2017
2.	श्रीराम श्री उप. सह. भण्डार मर्या., विदिशा	770/22-12-2010	541/30-03-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में किसी भी

लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वयं प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

आज दिनांक 25 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1573-A)

एफ. एस. राय,
सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 26 सितम्बर, 2017

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1455.—श्री योगेन्द्र सोनी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, श्री आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा ने अवगत कराया है कि संस्था का गत वर्षों से अंकेक्षण भी दोहराया जा रहा है। संस्था निष्क्रिय है तथा पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में संस्था का निर्वाचन करना संभव नहीं है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) (सो/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./ब्ली. डी. एस./1072, 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को जारी करता हूँ।

(1574)

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक।

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला नरसिंहपुर

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश	परिसमापक का नाम
			क्रमांक एवं दिनांक	
1	2	3	4	5
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कनवास	292/03-11-1987	991/18-10-2007	श्री डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक।
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोसमसेडा	296/03-11-1987	1004/23-10-2007	श्री डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक।
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठौतिया जमाडा।	361/26-12-1988	776/10-09-2007	श्री डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक।
4.	नवयुग वन औषधि सह. समिति मर्या., करेली	564/24-02-1996	719/19-08-2009	श्री डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक।
5.	वंशकार सहकारी समिति मर्या., आमगांव	602/09-01-2008	282/26-02-2014	श्री सुनीत नेमा, उप अंकेक्षक।

1	2	3	4	5
6.	श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., बघुवार	402/17-08-1992	284/26-02-2014	श्री सुनीत नेमा, उप अंकेक्षक.
7.	मारुति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदेसुर	73/22-09-2011	174/05-02-2014	श्री पी. के. गहलोत, उप अंकेक्षक.
8.	ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर	179/19-08-1964	722/19-08-2009	श्रीमति त्रिवेणी साहू, सहकारी निरीक्षक.
9.	चर्मकार सहकारी समिति मर्या., झिरीकला	487/31-03-1988	460/31-03-1995	श्री अशोक चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
10.	चर्मकार सहकारी समिति मर्या., मल्लाहपिपरिया	464/23-03-1988	460/31-03-1995	श्री अशोक चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
11.	चर्मकार सहकारी समिति मर्या., चीलाचौंद	140/20-03-1965	208/04-05-1991	श्री अशोक चौधरी, सहकारी निरीक्षक.
12.	चर्मकार सहकारी समिति मर्या., सालीचौका	134/20-03-1965	208/04-05-1991	श्री राजेन्द्र सिंह, व. स. नि.
13.	कृषि यंत्र विश्वकर्मा सहकारी समिति मर्या., सालीचौका	434/22-08-1995	721/19-08-2009	श्री राजेन्द्र सिंह, व. स. नि.
14.	महावीर तेलधानी सहकारी समिति मर्या., चीचली	15/21-02-1961	208/04-05-1991	श्री राजेन्द्र सिंह, व. स. नि.
15.	आजाद उप. सहकारी भण्डार मर्या., गाडरवारा	589/05-10-2004	283/26-02-2014	श्री राजेन्द्र सिंह, व. स. नि.
16.	चर्मकार सहकारी समिति मर्या., बिलेहरा	460/20-03-1988	1026/06-11-2003	श्री सी. एस. पटेल, सहकारी निरीक्षक.
17.	महावीर तेलधानी सह. स. मर्या., बोहानी	117/04-05-1965	208/04-05-1991	श्री सी. एस. पटेल, सहकारी निरीक्षक.
18.	सीता महिला बहुउद्देशीय सह. स. मर्या., बरगढ़ा	596/31-03-2006	295/26-02-2014	श्री सी. एस. पटेल, सहकारी निरीक्षक.
19.	चर्मकार सहकारी समिति मर्या., कमोद	446/20-03-1988	460/31-03-1995	श्री संजय खत्री, व. स. नि.
20.	चर्मकार सहकारी समिति मर्या., बगासपुर	135/20-03-1965	208/04-05-1991	श्री संजय खत्री, व. स. नि.
21.	महावीर तेलधानी सह. स. मर्या., करेलीकला	137/30-04-1962	208/04-05-1991	श्री संजय खत्री, व. स. नि.
22.	संयुक्त कृषि सामूहिक सह. स. मर्या., सिवनीबंधा	159/29-08-1980	208/04-05-1991	श्री संजय खत्री, व. स. नि.
23.	मत्स्योद्योग सह. स. मर्या., सिवनीबंधा	270/03-03-1987	206/04-05-1991	श्री ओ. पी. दीक्षित, उप. अंके.
24.	संयुक्त कृषि सामूहिक सह. स. मर्या., मुआर	207/29-12-1988	2293/04-05-1991	श्री संजय खत्री, उप. अंके.
25.	मत्स्योद्योग सह. स. मर्या., बरहटा	277/14-06-1987	460/31-03-1995	श्री ओ. पी. दीक्षित, उप. अंके.

1	2	3	4	5
26.	विद्यार्थी उप. सह. भण्डार मर्या., गोटेगांव	177/30-06-1965	996/23-09-2013	श्री ओ. पी. दीक्षित, उप अंके.
27.	नर्मदा रेत खदान स. समिति, झासीघाट	443/27-04-1995	287/26-02-2014	श्री ओ. पी. दीक्षित, उप अंके.
28.	जगदम्बा महिला बहु. स. समिति, गाडरवाराखेरा	595/31-03-2006	279/26-02-2014	श्री ओ. पी. दीक्षित, उप अंके.
29.	गजानन उद्यानिकी स. स., करकबेल	64/09-09-2011	175/05-02-2014	श्री ओ. पी. दीक्षित, उप अंके.
30.	चर्मकार सह. स. आडेगांव	155/20-03-1965	208/04-05-1991	श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक.
31.	स्टोन क्रेशर स. समिति मर्या., गाडरवारा	403/16-07-1996	716/19-08-2009	श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक.
32.	जिला बुनकर सह. स. मर्या., नरसिंहपुर	253/18-06-1965	489/04-05-1991	कु. एम. ओ. एक्का, अंके. अधि.

शकुन्ला ठाकुर,
उप-आयुक्त, सहकारिता.
(1575)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों जिनका पंजीयन क्र. एवं दिनांक निमानुसार है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा पूर्व आदेशों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकार धारा-70 के अंतर्गत विभाग के अधीन कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना के आदेश क्र./परिसमापन/2017/194, मुरैना, दिनांक 02 फरवरी, 2017 से पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	
		1	2
1.	शक्ति चलित सहकारी संस्था, मृगपुरा		265/25-04-1989
2.	जय दुर्गे तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना		87/28-06-1989
3.	अशोक तेल सहकारी संस्था मर्या., धीरबल का पुरा		460/31-12-1980
4.	भारतीय विद्युत कम सहकारी संस्था मर्या., बानमोर		141/23-03-1960
5.	नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., रामनगर		590/12-09-1985
6.	आदर्श नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., नैनागढ रोड, मुरैना		869/15-12-1988
7.	रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मवासीपुरा		20/01-09-1990
8.	जय काली लेवर सहकारी संस्था मर्या., नूराबाद		715/10-12-1987
9.	कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., बमरोली		379/13-03-1973
10.	तेलधानी फल साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., गंजरामपुर		95/16-02-1961

1	2	3
11.	बजरंग खनवरियान सहकारी संस्था मर्या., पहाड़ीनूराबाद	441/07-02-1980
12.	मयूरवन फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., मुरैना गाँव	1969/11-05-1994
13.	श्रमिक फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	591/31-07-1986
14.	फनीचर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	240/15-02-1991
15.	झाडू चटाई सहकारी संस्था मर्या., बानमोर	190/23-03-1960
16.	आदर्श पोषक सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	421/05-11-1980
17.	सहकारिता विभाग कम साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	171/30-06-1963
18.	प्राथ. बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कुतवार, मुरैना	345/30-09-1972
19.	पुलिस कोप. स्टोर सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	172/30-04-1953
20.	सुलोचना प्राथ. उप सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना	1127/13-07-1978
21.	जयमातादी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., दतपुरा मुरैना	786/13-09-1990
22.	हाकस एण्ड बैण्डस सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	1056/06-11-1995
23.	जय कैलादेवी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़	1379/24-02-2012
24.	मारूति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	465/20-02-1994
25.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सिहौनिया	594/31-03-1984
26.	सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., मुरैना	126/05-08-1964
27.	आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	128/18-09-1964
28.	गंगापुर तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिकरोदा	919/30-09-1989
29.	नवीन मतस्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	276/06-01-1967
30.	म.प्र. विद्युत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना	1114/30-12-1996

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 के नियम-57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण साहूकार किसी भी लाभ के बंटवारे से विचित होने के दायित्वहीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। साथ ही संस्था के कर्मचारियों, पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास संस्था का कोई भी रिकार्ड, नगदी एवं अन्य सामान जो भी हो इस अवधि में मुझे कार्यालयीन समय में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला मुरैना में प्रस्तुत करें। अन्यथा कि स्थिति में संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जायेंगे। यदि आवश्यक हुआ हो तो कार्यावाही भी की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

विजय गौतम,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

(1576)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर

धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	राजस्व मंडल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	DR/GWR/62/27-01-1976	क्र./परि./16/3041/ दिनांक 28-12-2016
2.	दि. वैभव सेविंग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	DR/GWL/655/13-12-1993	क्र./परि./17/698/ दिनांक 25-03-2017
3.	देवी अहिल्या सेविंग साख सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	DR/GWL/89/21-10-1999	क्र./परि./17/724/ दिनांक 25-03-2017

सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्रों के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंतवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीकृत निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

आर. एस. सोलंकी,
अंकेक्षण अधिकारी।

(1577)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेराखेडी	549/07-05-1984	1383/03-08-2017
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलफोडखेडा	1468/04-08-2014	1909/24-12-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरोनी	1469/04-08-2014	1017/16-02-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुनवानीकिराड	1523/28-10-2014	860/30-04-2016

1	2	3	4
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अडानिया	1500/13-10-2014	1915/24-12-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानीगांव	464/29-09-1992	1924/24-12-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेडगांव	1039/14-12-2007	1928/24-12-2016
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिडावद	1170/01-05-2007	1255/29-04-2013
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडियाहातु	433/11-05-1982	1627/21-07-2014
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबरी	1396/30-01-2014	1906/24-12-2016
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सतवास	1060/19-05-2003	1921/24-12-2016
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरिया	1059/19-05-2003	450/16-03-2015
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहदुल	1394/30-01-2014	1901/24-12-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

डी. के. दंदेलिया,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1578)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांकव दिनांक
1	2	3	4
1.	मध्यमवर्गीय गृह निर्माण सह. संस्था, कन्नौज	375/13-01-1981	1386/03-08-2017
2.	आदर्श चर्मोद्योग सह. संस्था, बाबडीखेडा	573/20-03-1996	1432/05-08-2017

1	2	3	4
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हायडी	1502/13-10-2014	1441/09-08-2017
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहार्डा	1572/23-06-2015	1441/09-08-2017
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खारिया	1438/19-06-2014	1441/09-08-2017
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चांदी	1484/31-12-2016	1441/09-08-2017
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बुरुट	1475/01-09-2014	1441/09-08-2017
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदी	1466/02-07-2014	1441/09-08-2017
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सातागांव	1517/22-10-2014	1441/09-08-2017
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजवाड	1573/23-06-2015	1441/09-08-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तिंया परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बांटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

आर. एस. मेहर,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांकव दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिपरास	1460/21-07-2014	1441/09-08-2017
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिवडिया	1455/18-07-2014	1441/09-08-2017
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसून	1476/01-09-2014	1441/09-08-2017
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डावर	1398/03-02-2014	1441/09-08-2017

1	2	3	4
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेकली	1490/07-10-2014	1441/09-08-2017
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिंद्राखेडी	730/16-04-1991	1441/09-08-2017
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणायरगाड़री	1174/10-03-2007	1441/09-08-2017
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घटियाभाना	317/18-03-1978	1441/09-08-2017
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कवडिया	1297/07-03-2013	1441/09-08-2017
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टप्पासुकलिया	576/12-02-1985	1441/09-08-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बांटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

समीर हरदास,

(1578-B)

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01 सितम्बर, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन
			आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडा	1213/18-06-2015	44/11-01-2017
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोडाखेडी	1155/12-12-2014	45/11-01-2017
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोसला	1184/19- -2015	46/11-01-2017
4.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कराडिया	1174/19-12-2014	54/11-01-2017
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमरदीपुरा	1190/20-01-2015	38/11-01-2017
6.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलोदा शु.	1157/12-12-2014	33/11-01-2017

1	2	3	4
7.	महिला दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पतोली	1188/19-01-2015	35/11-01-2017
8.	महिला दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अदलीमखेडी	991/13-02-2009	41/11-01-2017
9.	महिला दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बटवाडी	1191/20-01-2015	39/11-01-2017
10.	महिला दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलसामी	1162/15-12-2014	50/11-01-2017
11.	महिला दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजमेरी	1187/19-01-2015	52/11-01-2017
12.	महिला दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंज्ञानिया	1168/19-12-2014	49/11-01-2017
13.	दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जहानपुरा	1159/12-12-2014	37/11-01-2017
14.	हरि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेडा	1140/25-11-2014	56/11-01-2017

अतः मैं, मनोज पुरोहित, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मनोज पुरोहित,
परिसमापक एवं स. नि.

(1535)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत)

उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तथागत साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	डी. आर./जी.डब्ल्यू.आर./984 दिनांक 13 मार्च, 2009	डी. आर./2017/703, दिनांक 25 मार्च, 2017
2.	जिनेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	डी. आर./जी.डब्ल्यू.आर./277 दिनांक 30 जून, 2002	डी. आर./2017/731, दिनांक 25 मार्च, 2017
3.	जय भैरवनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	डी. आर./जी.डब्ल्यू.आर./375 दिनांक 12 फरवरी, 2004	डी. आर./2017/693, दिनांक 25 मार्च, 2017
4.	नवीन तृतीय श्रेणी न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	डी. आर./जी.डब्ल्यू.आर./408 दिनांक 10 फरवरी, 2010	डी. आर./2017/686, दिनांक 25 मार्च, 2017

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र

के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

के. सी. शर्मा,

(1559)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत)

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश
			क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर।	डी. आर./जी.डब्ल्यू.आर./384 दिनांक 23 सितम्बर, 2004	क्र./परि/2017/727/दि. 25-03-2017
2.	संस्कृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर।	डी. आर./जी.डब्ल्यू.आर./357 दिनांक 24 सितम्बर, 2003	क्र./परि/2017/729/दि. 25-03-2017
3.	मर्केटाल्स साख सहकारी संस्था मर्यादित, बेंहट ग्वालियर।	ए. आर./जी.डब्ल्यू.आर./441 दिनांक 09 सितम्बर, 2014	क्र./परि/2016/3034/दि. 28-12-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

ओ. पी. पाठक,

(1559-A)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है।—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन आदेश
		क्रमांक व दिनांक	क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	वीर सुभाष विद्युत रिपेयरिंग उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर.	ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./631 दिनांक 03 मई, 1994	क्र./2016/3035/दि. 28-12-2016
2.	जीवन ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर.	डी. आर./जी.डब्ल्यू.आर./38 दिनांक 04 अगस्त, 2004	क्र./2017/687/दि. 25-03-2017
3.	बाँके बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर.	डी. आर./जी.डब्ल्यू.आर./355 दिनांक 09 सितम्बर, 2003	क्र./2017/688/दि. 25-03-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टिया बोगस/शून्यकाल मानकार तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

बी. एल. गुप्ता,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(1559-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 08 सितम्बर, 2017

क्र./परि./1825.—ग्वालियर गौड़ खनिज सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./439, दिनांक 22 जुलाई, 1985 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1419, दिनांक 23 मई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आलोक साहू, उप-अंकेश्वक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जा कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्वालियर गौड़ सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक।

(1560)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1376.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/693, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हामिदपुर, तहसील त्यौंदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./863, दिनांक 30 मार्च, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हामिदपुर, तहसील त्यौंदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हामिदपुर, तहसील त्यौंदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./863, दिनांक 30 मार्च, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1561)

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1377.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/582, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./587, दिनांक 22 अक्टूबर, 1999 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./587, दिनांक 22 अक्टूबर, 1999 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1561-A)

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1378.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/1217, विदिशा दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 से सत्यमेव बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./16, दिनांक 10 जून, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सत्यमेव बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्यमेव बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./16, दिनांक 10 जून, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1561-B)

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1379.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/586, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से जयंती स्टेशनरी प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./672, दिनांक 29 जून, 1998 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा जयंती स्टेशनरी प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयंती स्टेशनरी प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./672, दिनांक 29 जून, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1561-C)

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1380.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/583, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से रीनू सिलाई कढ़ाई बुनाई सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./585, दिनांक 06 फरवरी, 1999 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा रीनू सिलाई कढ़ाई बुनाई सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रीनू सिलाई कढ़ाई बुनाई सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./585, दिनांक 06 फरवरी, 1999 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1561-D)

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1381.—सॉची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धतूरिया पोस्ट गुलाबगंज, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा

के अंकेक्षक श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक के पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2017 के अनुसार संस्था का अंकेक्षण कराने हेतु रिकार्ड एवं जानकारी उपलब्ध कराने में असफल रही है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2017/1237, दिनांक 18 अगस्त, 2017 द्वारा भी रिकार्ड सहित दिनांक 24 अगस्त, 2017 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किए जाने के पश्चात् भी संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। पूर्व में भी समय-सीमा में निर्वाचन न कराए जाने के कारण संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/348, विदिशा दिनांक 04 मार्च, 2016 जारी किया जा चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पदाधिकारियों की रूचि संस्था को चलाने में नहीं है।

अतः उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा सॉची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धूतरिया पोस्ट गुलाबगंज, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./क्ली. डी. एस./970, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को जारी करता हूँ।

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक।

(1561-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

संशोधित आदेश

उज्जैन, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/3058.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डवासुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 672, दिनांक 06 अप्रैल, 1984 आदेश क्रमांक परि. 582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. मेहर, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था। श्री आर. एस. मेहर का स्थानांतरण होने से उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर सी. ई. ओ. बड़नगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेचित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1959, दिनांक 30 मई, 2017 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डवासुरा के कार्य संचालन हेतु प्रबंधन समिति के आगामी निर्वाचन होने तक सी. ई. ओ., बड़नगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1562)

उज्जैन, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/3070.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2447, दिनांक 31 जनवरी, 2017 द्वारा दी हीरामिल स्टाफ क्रेडिट को. आपरेटिव सोसायटी, उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 4030, दिनांक 17 नवम्बर, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एल. मन्सौर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उच्चायन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1562-A)

उच्चायन, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/3071.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ताजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 11 अक्टूबर, 1976 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एल. मन्सौर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उच्चायन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक।

(1562-B)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां, जिला सागर

सागर, दिनांक 22 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरिया, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 455, दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 है। कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/753, दिनांक 20 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरिया, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 455, दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1563)

सागर, दिनांक 22 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., परसोरिया, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 453, दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 है। कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक

सुश्री प्राची जैन, सहकारी निरीक्षक, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., परसोरिया, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्र. 453, दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1563-A)

सागर, दिनांक 22 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

ओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 154, दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अधिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने के एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2017/1404, सागर, दिनांक 28 जुलाई, 2017 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र/निर्वाचन/2016/517 भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानात्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. -5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत ओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 154, दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1563-B)

सागर, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1778.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बम्होरी जगदीश, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1092, दिनांक 16 फरवरी, 2004 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/779, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की मांग की गई है। परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। अतः परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/779, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बम्होरी जगदीश, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1092,

दिनांक 16 फरवरी, 2004 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम /पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम /पति का नाम	पदनाम
1.	गुलाबबाई/विन्द्रावन	अध्यक्ष	6.	सविता/चरन	सदस्य
2.	पण्ठीबाई/गोले	उपाध्यक्ष	7.	पूनाबाई/मुन्ना	सदस्य
3.	सवरानी/बिहारी	सदस्य	8.	रचना/रामगोपाल	सदस्य
4.	शोलाबाई/भैयन	सदस्य	9.	रतीबाई/कड़ेरा	सदस्य
5.	शारदाबाई/भैरो	सदस्य			

संस्था 01 माह की अवधि में निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. आर. कावड़कर,
उप-पंजीयक।

(1563-C)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1014.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2017/918, दिनांक 29 अगस्त, 2017 के द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., फतेहपुर	201/23-03-1968	918/29-08-2017
2.	फल-फूल, साग-भाजी सह. संस्था, चकबमुलिया	230/05-01-2016	918/29-08-2017
3.	फल-फूल, साग-भाजी सह. संस्था, बनडी	241/17-02-2016	918/29-08-2017
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गुरुनावदा	144/02-07-2011	918/29-08-2017
5.	मछुआ सहकारी संस्था, बडौदा	1034/31-03-1995	918/29-08-2017

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वप्रेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

आर. के. राय,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(1551-B)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017-कार्तिक 5, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 मई, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्रायः इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के मुरैना, दमोह, सतना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़ व छिंदवाड़ा को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), तेंदूखेड़ा, दमोह, रघुराजनगर, नागोद (सतना), मंदसौर (मंदसौर), महिदपुर, घटिया, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), राजगढ़ (राजगढ़), छिंदवाड़ा, जुनारदेव, चोरई, मोहखेड़ा (छिंदवाड़ा) उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील नागदा (उज्जैन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, पन्ना, दमोह, शाजापुर, खरगौन, सीहोर, जबलपुर, बालाघाट में जुताई व धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला रायसेन में फसल मूँग व ग्वालियर, जबलपुर, खण्डवा में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति- ..

5. कटाई.- जिला पन्ना, सागर, व खरगौन में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, नीमच, झाबुआ व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त्र बुधवार, दिनांक 10 मई, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	5.0 4.0 16.0 5.0 17.0 12.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लाहार 6. मिहोना 7. रैन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बद्रवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उडद, मक्का, गेहूँ, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्रेरी 5. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोणडी 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उडद, मूँग, सोयाबीन, तितल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसू, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नरौ 4. पवई 5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गना, मूँग, उड़द. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा 8.4 ..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. रघुराजनगर 2. मझगांव 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर	2.5 5.2				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, अरहर अधिक. राई-सरसों कम, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्याँथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरकचुलियान				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, चना, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जैसिंहनगर 4. जैतपुर				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर, अलसी, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
21. जिला मंदसौर : 1. सुवासराटप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़का 9. संजीत 10. कयामपुर	मिलीमीटर 2.0	2. ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
22. जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4.(1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
23. *जिला रत्लाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलोदा 6. रत्लाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
24. जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर .. 12.0 .. 2.0 8.0 6.0 29.0	2. ..	3. .. 4.(1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
25. जिला आगर : 1. बड़ोद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, रायड़ा समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
26. जिला शाजापुर : 1. मोहम्मद बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास : 1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नोद 6. खातेगांव	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
28. जिला झाबुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सोंडवा 5. भामरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भोकनगांव 9. झिरन्या	मिलीमीटर	2. जुताई व रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, तुवर, चना अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, गेहूँ, अलसी, राई-सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	5.1				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	अप्राप्त				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. मूँग की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, उड़द अधिक. मूँग कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डम	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवाड़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ी	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गाडरवारा 2. करली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेआंव 5. तेंदुखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
48.*जिला डिणडोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिणडोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. जुनारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पांढुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. चांद 10. बिल्हुआ 11. हरई 12. उमरेठ 13. बोलखेड़ा	0.3 3.2 5.2 1.2				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादोन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसोर 7. घनोरा 8. छपारा				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. खींची फसल धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. खैरलाँजी 4. बैहर 5. लालबरा 6. वारासिवनी 7. बिरसा 8. कटंगी 9. परसवाड़ा 10. किरनापुर				

टीप.-*जिला रत्लाम, बैतूल, नरसिंहपुर व डिणडोरी व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।

(1566)